


वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बिक्रय


617

- 01. कायपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग मन्दाई की ओर सैनार्थ एवं आवश्यक कायदाही हेतु अर्थात् ।
- 02. मुख्य वन संरक्षक, सरगजा वृत्त आन्ध्रकापुर की ओर सैनार्थ सम्भित ।
- 03. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सैनार्थ सादर सम्भित ।

प्रति/मा.वि./कमांक/मा.वि. :- 905
 बिक्रय, दिनांक 20/03/2018
 वनमण्डलाधिकारी
 कोरिया वनमण्डल बिक्रय

संलग्न :- सदन :- सदन पर की जायापति ।
 लालक पुनरीक्षण योजना तैयार किया जा सके ।
 रूग्नी मृत्ति 10.469X2 = 20.938 हे. आवेदक विभाग पी.डब्ल्यू.डी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अतः उक्त प्रस्तावित 10.469 हे. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन की हेतु निर्देश दिये गये हैं ।
 मृत्ति/निजी मृत्ति पर रोपण किया जाना है । रोपण योग्य क्षेत्र का सदन कर रोपण योजना सजने छत्तीसगढ़ रायपुर के उपरोक्त सदन पर हेतु राजस्व वन सदन कर रोपण हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय उक्त प्रस्तावित प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु विगडे वन की रूग्नी वन मृत्ति संरक्षक (सू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर प्रेषित किया गया था ।
 प्रस्तावित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक सरगजा वृत्त आन्ध्रकापुर के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन विभागित मार्ग अमरपुर से विरमिरी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत

—*—*—*—

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & upgrading area 10.469 ha. Regarding.
 पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/8090/2014
 संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र कमांक/सू-प्रबंध/विधि/115.705/757 दिनांक 12.03.2018
 कलेक्टर,
 जिला कोरिया (छ.ग.)

प्रति, कमांक/मा.वि./ 905
 बिक्रय, दिनांक 20/03/2018